PDF Compressor Free Version

Revised Certificate Order 27/14 Dated 3-12-2014

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 2/2016

Deted- 25 Jan.,2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that **6.969** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra** (name of user agency) for **Contruction of Road Work From Kota-Dharnavda Road C.C.(Village Chanchora) K.M. 132/500 To 134/200** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Chanchora** village(S) in **Chabra** tehsils.

It is Further certified that:

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.969** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Lavel Committee are enclosed as annexure-**(A)** to annexure-**(C)**

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,

(f) the proposal does not invoive recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)

Presedent of District Lavel committees &

District Collector, Baran

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

PDF Compression

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

ग्राम/वृष समिति चांचौड़ा बैंच छबड़ा जिला बारां (राज.) वर्ष 2015-16

बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
2			5	6
अटल सेवा केन्द्र	श्रीमति मिथलेशबाई	(i) फूलचन्द्र लाल (ii) रामकुंवार (iii) मुकेश गाड़ी (iv) अनीता मीना	श्रीमान शासन सचिव महोदय ग्रा. विकास विभाग जयपुर पत्रांक एफ 6 (20) ग्रा.वि./म.न./नि./सा. अं./सामा अंकेक्षण कार्य/2015-16/18196-307 दि. 30.07.2015 के निर्देशानुसार 01 अक्टुबर 2014 से 31 मार्च 2015 तक ग्रा. पंचायत क्षेत्र मे महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत कराये गये समस्त निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है।	मिथलेश सरपंच ग्राम पंचायत चांचौड़ा पं0 स0 छबड़ा जिला बारां
	[signature] VDO ग्रामसभा प्रभारी			मुकेश गाड़ी
			श्रीमति मिथलेश बाई सरपंच महोदया की अध्यक्षता मे ग्राम सभा बैठक आरंभ की।	अनीता उपसरपंच हेमराज मीना वा.पं. रामकुंवार वा.पं.
	[signature] सचिव चांचौड़ा			फूलचन्द वा.पं.
	[signature] कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनि. तक. सहायक प.स. छीपाबड़ौद	[signature]	प्रस्ताव सं. 1 ग्रामसभा मे सभी के समक्ष ग्रा.प. द्वारा निम्नलिखित कार्य हुए है। जो कि वे निम्न प्रकार है।	ओमप्रकाश
		कनिष्ठ संसाधन व्यक्ति [signature]	(i) ग्रेवल सड़क स्कूल से बड़ोदिया तक नीमखुर स्वी. राशि व्यय राशि 292234	[signature] चेतराम
		VRP प्रियंका मीना	(ii) नवीन तालाब कोपला वाली टापी वनभूमि सींधड़ी श्यामपुरा स्वी. राशि व्यय राशि 505113	
		राजेन्द्र नागर ग्राम संसाधन अरविन्द नागर ग्रा. संसाधन राधाकिशन - ग्राम संसाधन		[signature] सत्यपाल
			प्रस्ताव सं. 2 → ग्रा सींधड़ी श्यामपुरा के ग्रामवासी द्वारा रामस्वरूप गाड़ी द्वारा बताया गया कि ग्रा सींधड़ी श्यामपुरा श्मशान घाट की बावड़ी वाल व आने जाने के रास्ते पर अतिक्रमण हटाकर रास्ता बनाया जावे उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ	पप्पू [signature] रामस्वरूप
			प्रस्ता. 03 → ग्रा. सींधड़ी श्यामपुरा मे हरिश्चन्द्र गाड़ी के पास सोलर मरम्मत करवाया जावे। व रा.उ.प्रा. विद्यालय भवन बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा है। अतः इस भवन की मरम्मत करवाई जावे।	लालचन्द ओमप्रकाश गणेश अर्जुन
			प्रस्ता. 04 → ग्रा. श्यामपुरा मे आंगनबाड़ी केन्द्र श्यामपुरा मे शौचालय का अभाव है शौचालय निर्माण करवाया जावे।	करमचन्द [signature]
			प्रस्ता. 05 → अन्य चिन्हित नवीन योजनान्तर्गत प. समिति के फलानुसार लॉटरी सिस्टम से पात्र लाभार्थी का चयन करना था। ग्राम सभा मे सभी उपस्थित ग्रामवासियो	निर्मल मीना P.T.O.

PDF Compressor Free Version

बैठक की कार्यवाहियों का रजिस्टर

उप समिति ...... चाचोड़ा ...... बैंच ...... छबड़ा ...... जिला ...... बारां ...... (राज.) वर्ष 2015-16

बैठक का स्थान	अध्यक्ष/सरपंच के नाम	उपस्थित सदस्यों के नाम	बैठक में की गई कार्यवाहियाँ	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
2	3	4	5	6

एवं सदस्यों के समक्ष नगमा/शाकिर हुसैन मुसलमान निवासी चाचोड़ा उम्र (11) बेटी व/o अंकरलाल शर्मा दो की पर्ची बनाकर लॉटरी सिस्टम से चयन किया जो नामचयन के समक्ष बेटी बाई व/o अंकरलाल शर्मा निवासी चाचोड़ा का चयन हुआ जिसका सभी उपस्थित ग्रामसभा कोरम ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

प्रस्.- 06 आज दिनांक 15-10-2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमे वनक्षेत्र मे आने वाली सड़क कोटा शिवपुरी (स्टेटहाइवे 51) किमी. 132/500 से 134/200 जो वन विभाग मे सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवं किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र मे सड़क बनाने मे कोई आपत्ति नही है

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान मे विचाराधीन नहीं ~~उपरोक्त~~

वन विभाग की भूमि का विवरण

खसरा न	क्षेत्रफल	गांव का नाम
322	0.545 Hec.	हनुवन्तखेड़ा, उमरिया
77, 78 80, 82, 84 86, 87, 88, 95, 96	6.424 Hec	
Total	6.969 Hect	

[illegible signature] [illegible signature]

सरपंच
ग्राम पंचायत चाँचौड़ा
पं० स० छबड़ा जिला बारां

PDF Compressor Free Version

आज दिनांक ....10/11/2015..... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकर कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सड़क कोटा–धरनावदा (स्टेट हाईवे–51) किमी. 132/500 से 134/200 एवम् 134/200 से 137/500 के लिए प्राप्त प्रस्ताव .... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकर पत्र जारी नही हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावति वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : चाचोड़ा

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गॉव का नाम
322	0.545 Hec	हनुवतखेडा
77, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 95, 96	6.424 Hect	उदपुरिया
Total	**6.969 Hect**	

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत भीलवाड़ा नीचा

खसरा नं.	क्षैत्रफल	गॉव का नाम
639, 640	1.675 Hect	भीलवाड़ा नीचा
132	0.790 Hect	कादरपुरा
8, 351, 365	4.124 Hect	घट्टा
Total	**6.589 Hect**	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड छबड़ा
(उप जिला कलेक्टर, छबड़ा जिला बारां (राज.))

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छबड़ा
(रेंजर वन क्षेत्र छबड़ा)

विकास अधिकारी
पं.स. छबड़ा।

सहायक वन संरक्षक
छीपाबड़ोद

PDF Compressor Free Version

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां(राज.) का बैठक कार्यवाहीं विवरण दिनांक 25.1.2016

आज दिनांक 25.1.2016 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला बारां क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबडा के प्रस्ताव ल्हासी मध्यम सिचाई परियोजना से प्रभावित डूब क्षैत्र एंव सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड,छबडा के पूर्व अनुशंषित प्रस्ताव संख्या– 27/14 व 28/14 का सम्मिलित प्रस्ताव एंव 29/14 पारित दिनांक 3.12.2014 में संशोधन किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त सभी प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियो, छीपाबडौद/छबडा से अनुमोदन होकर प्राप्त हुऐ है। इन प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। उक्त प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एंव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से अनापत्ति प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमियो के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लंबित है। फलस्वरूप अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबडा से प्राप्त ल्हासी मध्यम सिचांई परियोजना में प्रभावित वन भूमि कुल 185.00 है0 की उक्त अधिनियम की धारा, 3(2) के तहत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है। तथा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा द्वारा पूर्व में अनुशंषित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 7.166 है0 के स्थान पर 6.969 है0, प्रस्ताव संख्या 28/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 6.418 है0 के स्थान पर 6.589 है0 एंव प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.00 है0 के स्थान पर 2.27 है0 की अनुशंसा की जाती है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र पृथक से जारी हो।

1– अधिशाषी अभियंता, जनसंसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबडा–

क0सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	वनखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों के नाम व प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक		उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितिं में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबडा	ल्हासी मध्यम सिचाई परियोजना से प्रभावित क्षैत्र हेतु	झनझनीं	140.00 हैक्टयर	दीगोद खालसा	5.12.2015	22.12.2015
			सेतकोलू	45.00 हैक्टयर योग 185.00 हैक्टयर	सेतकोलू	5.12.2015	

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

DCF Baran
उप वन संरक्षक
बारां

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माडा जिला परिषद, बारां

25/1/016
सदस्य
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति

2– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा–

क्र0 सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव		प्रस्तावित भूमि का विवरण		संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक
			प्रस्ताव सं0	दिनांक	पूर्व में प्रस्ता. रकबा	संशोधित रकबा		
1	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा धरनावदा सड़क किमी. 132/500 से 134/200	27/2014	3.12.2014	7.166 है0	6.969 है0	चाचौड़ा (15.10.2015)	10.11.2015
2.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	कोटा धरनावदा सड़क किमी. 134/200 से 137/500	28/2014	3.12.2014	6.418 है0	6.589 है0	भीलवाड़ा नीचा (8.10.2015)	10.11.2015
3.	अधिशाषी अभियता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा	हिंगलोट से मदनाखेड़ी सड़क	29/2014	3.12.2014	3.00 है0	2.27 है0	पाली (5.11.2015)	10.11.2015

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एंव जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां
अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

(सुनिल चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां
उप वन संरक्षक
बारां

(महेश चन्द परेवा)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी–माड़ा जिला परिषद,बारां
अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माड़ा जिला परिषद, बारां

25/1/016
(निर्मला मीणा)
सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां

PDF Compressor Free Version

Revised Certificate Order 28/14 Dated 3-12-2014

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No- 3/2016 Deted- 25 Jan.,2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that **6.589** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Mukesh Gupta Executive engineer Public Works Department Div.- Chabra** (name of user agency) for **Contruction of Road Work From Kota-Dharnavda Road C.C. K.M. 134/200 To 137/500** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **BhelKhera** village(S) in **Chabra** tehsils.

It is Further certified that:

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **6.589** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Lavel Committee are enclosed as annexure-**(A)** to annexure-**(C)**

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Grama sabhas have given their consent to it,

(f) the proposal does not invoive recognised rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature

(Lalit Kumar Gupta)

Presedent of District Lavel committees &

District Collector, Baran

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर

जिला स्तरीय वनाधिकार कमेटी, बारां

PDF Compressor Free Version

आज दिनांक 8-10-2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क कोटा–धरनावदा (स्टेट हाईवे–51) किमी. 134/200 से 137/500 जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि मे सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों को मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में कमांक 1/ पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

<u>वन विभाग की भूमि का विवरण</u>

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गाँव का नाम
639, 640	1.675 Hect	भीलवाड़ा नीचा
132	0.790 Hect	कादरपुरा
8, 351, 365	4.124 Hect	घट्टा
Total	**6.589 Hect**	

सरपंच ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत भीलवाड़ा नीचा
पं.स. छबड़ा जिला बारां (राज.)

सचिव ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत भीलवाड़ा नीचा
पं.स. छबड़ा जिला बारां (राज.)

PDF Compressor Free Version

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स

पत्र संख्या - 1

बैठक कार्यवाही वितरण रजिस्टर

2015

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति भीलवाड़ा नीचा पंचायत समिति छबड़ा जिला बारां

होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
	2	3	4	5	6
8.10.2015	[illegible]		[illegible]	प्रस्ताव संख्या 17. आज दिनांक 8.10.2015 को ग्राम सभा का आयोजन [illegible] ... कोटा ... (स्टेट हाईवे-51) किमी 134 ... 137/500 जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है ... [illegible]	[illegible]

वन भूमि का विवरण

खसरा नं.	क्षेत्रफल	ग्राम का नाम
133, 640	1.675 Hect	भीलवाड़ा नीचा
132	0.790 Hect	[illegible]
8, 351, 365	4.124 Hect	[illegible]
Total	6.589 Hect	

सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]

सरपंच
ग्राम पंचायत भीलवाड़ा नीचा
पं.स. छबड़ा जिला बारां (राज.)

PDF Compressor Free Version

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां(राज.) का बैठक कार्यवाहीं विवरण दिनांक 25.1.2016

आज दिनांक 25.1.2016 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें जिला बारां क्षेत्र में वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जल संसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबडा के प्रस्ताव ल्हासी मध्यम सिचाई परियोजना से प्रभावित डूब क्षैत्र एंव सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड,छबडा के पूर्व अनुशंषित प्रस्ताव संख्या– 27/14 व 28/14 का सम्मिलित प्रस्ताव एंव 29/14 पारित दिनांक 3.12.2014 में संशोधन किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त सभी प्रस्ताव ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों व उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियो, छीपाबडौद/छबडा से अनुमोदन होकर प्राप्त हुऐ है। इन प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। उक्त प्रस्तावों पर बैठक में विचार किया गया।

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एंव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों से अनापत्ति प्राप्त हुई है। उक्त प्रस्तावित वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। फलस्वरूप अधिशाषी अभियता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबडा से प्राप्त ल्हासी मध्यम सिचांई परियोजना मे प्रभावित वन भूमि कुल 185.00 है0 की उक्त अधिनियम की धारा, 3(2) के तहत प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है। तथा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा द्वारा पूर्व में अनुशंषित प्रस्ताव संख्या 27/14 दिनांक 3.12.2014 मे प्रस्तावित वन भूमि रकबा 7.166 है0 के स्थान पर 6.969 है0, प्रस्ताव संख्या 28/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 6.418 है0 के स्थान पर 6.589 है0 एंव प्रस्ताव संख्या 29/14 दिनांक 3.12.2014 में प्रस्तावित वन भूमि रकबा 3.00 है0 के स्थान पर 2.27 है0 की अनुशंसा की जाती है। उक्त प्रस्तावों के अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र पृथक से जारी हो।

1– अधिशाषी अभियंता, जनसंसाधन विभाग खण्ड द्वितीय छबडा–

क्र0सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	वनखण्ड सीमा/नाका	प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों के नाम व प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक		उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
1	अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड द्वितीय,छबडा	ल्हासी मध्यम सिचांई परियोजना से प्रभावित क्षैत्र हेतु	झनझनी	140.00 हैक्टयर	दीगोद खालसा	5.12.2015	22.12.2015
			सेतकोलू	45.00 हैक्टयर योग 185.00 हैक्टयर	सेतकोलू	5.12.2015	

अध्यक्ष एंव जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

DCF Baran
उप वन संरक्षक
बारां

अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माडा जिला परिषद, बारां

25/1/016
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति

PDF Compressor Free Version

2– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा–

क0 सं0	यूजर एजेन्सी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	पूर्व में पारित प्रस्ताव		प्रस्तावित भूमि का विवरण		संशोधित प्रस्ताव हेतु ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक	संशोधित प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों की अनुमोदन दिनांक
			प्रस्ताव सं0	दिनांक	पूर्व में प्रस्ता. रकबा	संशोधित रकबा		
1	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा	कोटा धरनावदा सड़क किमी. 132/500 से 134/200	27/2014	3.12.2014	7.166 है0	6.969 है0	चाचौडा (15.10.2015)	10.11.2015
2.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा	कोटा धरनावदा सड़क किमी. 134/200 से 137/500	28/2014	3.12.2014	6.418 है0	6.589 है0	भीलवाडा नीचा (8.10.2015)	10.11.2015
3.	अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबडा	हिंगलोट से मदनाखेडी सड़क	29/2014	3.12.2014	3.00 है0	2.27 है0	पाली (5.11.2015)	10.11.2015

(ललित कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां
अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

(सुनिल चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां
उप वन संरक्षक
बारां

(महेश चन्द परेवा)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
पदेन परियोजना अधिकारी–माडा जिला परिषद,बारां
अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि०–माडा जिला परिषद, बारां

25/1/016
(निर्मला मीणा)
सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति,बारां

PDF Compressor Free Version

आज दिनांक ...15...10...2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली सड़क कोटा–घरनावदा (स्टेट हाईवे–51) किमी. 132/500 से 134/200 जो वन विभाग की भूमि से गुजर रही है, वर्तमान में बन्द है उसके निर्माण हेतु ग्राम सभा में वन भूमि मे सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव लिया गया तथा सर्वसम्मति से सड़क के निर्माण की अति आवश्यकता बताई गई एवम् किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में सड़क बनाने में कोई आपत्ति नही है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों को मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकार पत्र जारी नही हुआ है। ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। इस वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही दिया गया है ना ही कोई दावा वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में कमांक ...06..... पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

<u>वन विभाग की भूमि का विवरण</u>

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गॉव का नाम
322	0.545 Hec	हनुवतखेडा
77, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 95, 96	6.424 Hect	उदपुरिया
Total	**6.969 Hect**	

15/10/15
सरपंच ग्राम पंचायत
ग्राम पंचायत चाचोड़ा
पं0 स0 छबड़ा जिला बारां

सचिव ग्राम पंचायत
ग्रा.पं. चाचोडा

PDF Compressor Free Version

आज दिनांक ....10/11/2015..... को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकर कमैटी से वन क्षेत्र में पडने वाली सड़क कोटा–धरनावदा (स्टेट हाईवे–51) किमी. 132/500 से 134/200 एवम् 134/200 से 137/500 के लिए प्राप्त प्रस्ताव .... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय कमैटी द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय कमैटी हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई अधिकर पत्र जारी नही हुआ है, ना ही वर्तमान में कोई लम्बित है। अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावति वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

वन विभाग की भूमि का विवरण : चाचोड़ा

खसरा नं.	क्षेत्रफल	गॉव का नाम
322	0.545 Hec	हनुवतखेड़ा
77, 78, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 95, 96	6.424 Hect	उदपुरिया
Total	**6.969 Hect**	

वन विभाग की भूमि का विवरण : ग्राम पंचायत भीलवाड़ा नीचा

खसरा नं.	क्षैत्रफल	गॉव का नान
639, 640	1.675 Hect	भीलवाड़ा नीचा
132	0.790 Hect	कादरपुरा
8, 351, 365	4.124 Hect	घट्टा
Total	**6.589 Hect**	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड छबड़ा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छबड़ा

विकास अधिकारी
पं.स. छबड़ा।

सहायक वन संरक्षक